रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2012/अग्रहायण 6, 1934
No. 604] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2012/AGRAHAYANA 6, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 850(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक उनका संबंध प्रकाशन सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में प्रकाशन सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, प्रकाशन सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रकाशन सहायक	02* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 (9300-34800रू.) + ग्रेड वेतन 4200रू.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण : आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।	आवश्यक : 1.किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान विषय के साथ स्नातक । 2. किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संगठन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मान्यताप्राप्त या रजिस्ट्रीकृत किसी निजी संगठन में प्रूफ रीडिंग सहित प्रकाशन कार्य का दो वर्ष का अनुभव । वांछनीय : हिन्दी विषय के साथ मेट्रीकुलेशन ।

						टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता(अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को

						भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन बैंड -1 के 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2800रु. में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित ज्येष्ठ प्रूफ रीडर, जिसके न हो सकने पर ज्येष्ठ प्रूफ रीडर (वेतन बैंड -1 के 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2800रु.) और प्रूफ रीडर, (वेतन बैंड -1 के 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2400रु.) की श्रेणी में नियमित आधार पर 10 वर्ष की सम्मिलित सेवा जिसमें से कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रूफ रीडर की श्रेणी में हो । टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - अध्यक्ष ; 2. कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ; 3. कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य । समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

4425 GI/12-2

ली हो । टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है,आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी - (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2800रु. के वेतनमान या समतुल्य में उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2400रु. के वेतनमान या समतुल्य में उस श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और	1. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - अध्यक्ष ; 2. कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ; 3. कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ।	

(iv) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

[फा. सं. 01/24/2011–सीएसबी]

बी. एम. एस. राठौर, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2012

G.S.R. 850(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Group C) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Publication Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Publication Assistant in the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Publication Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. – The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
Publication Assistant.	2* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4200.	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time)	Essential : (i) Graduate from a recognised University with Botany as one of the subjects. (ii) Two years' experience of publication work including proof reading in a Government or Semi Government organisation or a private organisation recognised or registered under any law for the time being in force. Desirable : Matriculation with Hindi as a	No.	Two years.	By promotion failing, which by deputation, failing both by direct recruitment.

4425 GI/12-3

Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	subject. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion:- Senior Proof Reader with six years' regular service in pay band-1 of Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2800 failing which ten years' combined service in the grade of Senior Proof Reader (Pay Band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay Rs.2800 and Proof Reader (Pay Band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay Rs.2400) on regular basis out of which at least three years' regular service in the grade of Senior Proof Reader. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Botanical Survey of India – Chairman; 2. Head of Office, Botanical Survey of India – Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India – Member. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director, Botanical Survey of India – Chairman; 2. Head of Office, Botanical Survey of India – Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

4425 GI/12-4

next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation. Deputation: Officers of the Central Government,- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' regular service in the grade in posts in pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or		

Department; or (iii) with ten years' regular service in the posts in pay band-1 of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or Department; and (iv) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationist will not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a		

regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.		

[F. No. 01/24/2011-CSB]

B.M.S. RATHORE, Jt. Secy. (Conservation and Survey)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.